भारत में अभूतपूर्व योग्यता और शक्ति है।भविष्य में कोरोना जैसी किसी भी महामारी से निपटने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गयी हैं। स्वास्थ्य पर सरकार का कितना फोकस है, यह इस बजट में आप देख चुके हैं।भारत के पास हर अनसुलझी समस्या को सुलझाने की क्षमता है। —— डा. हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री

शिक्षा का सकारात्मक उपयोग तभी सार्थक होगा जब उससे समाज में व्याप्त कुरूतियों को दूर किया जा सके।
—— आनंदी बेन पटेल, राज्यपाल, उप्र

संक्षिप्त खबर

पूर्व प्रधान सचिव ने टीका लगवाया

नई दिल्ली। पूर्व प्रधान सचिव एवं श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बृहस्पतिवार को एम्स में कोविड-19 का टीका लगवाया और टीकाकरण अभियान के लिए अस्पताल द्वारा बनाई गई नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव ने कहा कि वह यह देखकर खुश हैं कि भीड़ के बावजूद टीकाकरण के लिए पहुंचने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा नहीं है क्योंकि जिस जगह पर टीका लगाया जा रहा है वहां वे कम लोगों के संपर्क में आते हैं। 75 वर्षीय मिश्रा को भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीका लगाया गया।

मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टीकाकरण में शामिल करें

नई दिल्ली। 'द प्रेस एसोसिएशन' ने महामारी के दौरान मीडिया की निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए केंद्र से कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इसमें शामिल करने का बृहस्पतिवार को अनुरोध किया। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार ने दूसरे कोरोना योद्धाओं की तरह महामारी से मुकाबला करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका का कई बार उल्लेख किया। एसोसिएशन ने कहा, ''स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों की तरह कई पत्रकारों ने भी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जान दी।

एलजी व सीएम ने लगवाया टीका, बोले, डरने की कोई बात नहीं

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देशभर के अन्य कई दिग्गज नेताओं द्वारा कोविड का टीका लेने के बाद अब उपराज्यपाल अनिल बैजल और उनकी पत्नी माला भगत ने सिविल लाइंस स्थित तीरथ राम शाह हास्पिटल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके माता-पिता ने लोकनायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपीएन) अस्पताल में टीके की पहली खुराक ली। मुख्यमंत्री ने सभी से टीका लगवाने की अपील की और कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कोविशील्ड टीके की खुराक पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल के पिता गोविंद राम केजरीवाल और माता गीता देवी को दी गई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को

टीके के लिए उपराज्यपाल पहुंचे तीरथराम और केजरीवाल एलएनजेपीएन अस्पताल

केजरीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर और खोले जाएंगे और टीकाकरण केंद्र

टीका लगाया गया।

अस्पताल में संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मेरे माता-पिता और मैने टीका लगवाया। हम सभी एकदम ठीक हैं। अब लोगों के मन में टीके को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे आएं और टीका लगवाएं। उल्लेखनीय है कि देश में एक मार्च से आरंभ टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों तथा विभिन्न रोगों से ग्रस्त 45-59 वर्ष आयुवर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। केजरीवाल (52) मधुमेह से पीड़ित हैं।

उन्होंने कहा कि आवश्यकता महसूस होने पर दिल्ली सरकार जनता के लिए और अधिक टीकाकरण केंद्र खोलेगी। सीएम के आने के पहले ही अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और देश की जनता से मेरी अपील है कि जो लोग भी वैक्सीन लगवाने के पात्र हों, आगे आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि वह लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और उसके दिशा-निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो वह जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। सीएम ने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं थीं, वो अब दूर हो रही हैं। अब लोग खुद आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री के पूर्व ओएसडी भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पूर्व ओएसडी डॉ निकुंज अग्रवाल को शहर के बाल अस्पताल में उनकी नियुक्ति में अनियमितता संबंधी आरोपों से मुक्त कर दिया।

इस मामले में अदालत ने चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के पूर्व निदेशक डॉ. अनूप मोहता को भी आरोप मुक्त कर दिया। अभियोजन के मुताबिक चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में तैनाती के दौरान डॉ. मोहता ने तदर्थ आधार पर डॉ. निकुंज की वरिष्ठ रेजिडेंट (ऑर्थो) के पद पर नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की थी। अभियोजन ने आरोप लगाया था कि उनकी नियुक्ति अवैध थी, उस समय बाल चिकित्सालय में वरिष्ठ रेजिडेंट (ऑर्थो) का पद ही नहीं था। इस मामले में 28 दिसम्बर 2016 को केस दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने कहा कि आरोप तय करने के लिए प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता। इसलिए दोनों को आरोपमुक्त किया जाता है। डॉ निकुंज अग्रवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन और वकील ऋषिकेश कुमार ने दलील दी थी कि अभियोजन ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। सीबीआई के आरोपपत्र के मुताबिक, डॉ मोहता ने बाल चिकित्सालय में वर्ष 2015 में डॉ निकुंज अग्रवाल को बिना रिक्त पद और साक्षात्कार का आयोजन किए बिना नियुक्त किया। इसके मुताबिक, डॉ निकुंज को पहले बाल चिकित्सालय में नियुक्ति दी गई और फिर बाद में नियमों को नजरअंदाज कर उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का ओएसडी बनाया गया।

King George's Medical University U.P.
Lucknow - 226003

Notice No: 15/MS/TC/e-tender2021 Date: 04.03.2021

E-Tender Inviting Notice

Online e - bids are invited latest by **26/03/2021** under two e-bid system for **Supply of Medical Gases (Oxygen and CO2)** in King George Medical University Lucknow. The details of the tender can be viewed at **www.kgmu.org. Tender will be available on e-portal https://etender.up.nic.in/.**

(Medical Superintendent)

पीडब्ल्यूडी ने मांगी 6 हजार करोड़ की राशि

■ संजय के झा

नई दिल्ली। एसएनबी

राजधानी में बेहतर सड़क निर्माण करने व ढांचागत विकास को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली सरकार के पास वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 6 हजार करोड़ रुपए आवंटन करने का प्रस्ताव भेजा दिया है। बजट सत्र 8 मार्च से शुरू होगा जिसमें लोक निर्माण विभाग को बेहतर आवंटन मिलने की संभावना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया जा सके। वित्त वर्ष 2020-21 में भारी कोरोना संक्रमण के कारण राजस्व में कमी आ गई, इस कारण लोक निर्माण विभाग सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर मात्र दो हजार करोड़ ही खर्च कर पाया है। अब नए वित्त वर्ष में सड़क निर्माण व ढांचागत विकास के लिए 6 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की योजना के अनुसार इस राशि से

नए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर रहेगा जोर

2.8 लाख सीसीटीवी लगाने के लिए बजट में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान संभव

लोक निर्माण विभाग ने सड़कों पर वर्तमान स्ट्रीट लाइटों को हटाकर एलईडी लाइट लगाने का प्रस्ताव भेजा

बेहतर सड़क निर्माण संभव होगा व पैदल यात्रियों की सुविधा को बेहतर किया जाएगा। अगले सप्ताह पेश होने वाले बजट में लोगों को बेहतर शिक्षा,स्वास्थ्य, ढांचागत विकास व परिवहन सेवा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष की तरह इस बजट में परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर तीस हजार करोड़ रूपए खर्च करने का प्रावधान होना संभव है। दिल्ली सरकार ने 1.4 लाख सीसीटीवी लगाने की योजना को बढ़ाकर 2.8 लाख सीसीटीवी लगाने की योजना बनाई है व इसके लिए बजट में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान संभव है। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों पर वर्तमान स्ट्रीट लाइटों को हटाकर एलईडी लाइट लगाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा है। वहीं, मुफ्त वाईफाई के लिए अब तक 7500 हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। नए बजट में मादीपुर,हस्तसाल और ज्वालापुरी में नए अस्पताल बनाने के लिए फंड आवंटित होगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है। प्रत्येक अस्पताल की क्षमता 600 बेड की होगी।

अस्पताल परियोजनाओं में निम्न अस्पतालों को मिलेगा बजट में बेहतर आवंटन

- राजपुर रोड स्थित अरुणा आसफअली अस्पताल, मोतीनगर का आर्चाय श्री भिक्षु अस्पताल,
- भगवान महावीर अस्पताल पीतमपुरा, दीपचंद अस्पताल कोकीवाला अशोक विहार,
- जाफरपुर का रावतुलाराम मेमोरियल अस्पताल,संजय गांधी अस्पताल मंगोलपुरी,
- बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल-रोहिणी,गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल रघुवीर नगर।

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
बोर्ड नंबर : +91–11–23736857, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
नोएडा कार्यालय : भू तल, डी–2, सेक्टर–3, नोएडा–201301, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

परिशिष्ट–4–क
{नियम 9(1) का परंतुक देखें}
अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु सूचना

{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना}

ऋण खाता संख्या : डब्ल्यूएफएच/सीसीएफ/0117/342986 ("ऋण 1") तथा डब्ल्यूएफएच/सीसीएफ/0117/342995 ("ऋण 2")

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), प्रतिभूति–प्रदाता/बंधकदाता और गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत क्रेडिटर नामतः पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित निम्नलिखित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित कब्जा **प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा 23 मई, 2020 को प्राप्त किया जा चुका है, सुपरटेक लिमिटेड (कर्जदार), सर्व रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (सह–कर्जदार 1), एएसपी सरीन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (सह–कर्जदार 2), श्री राम किशोर अरोड़ा (गारंटर 1), श्रीमती संगीता अरोड़ा (गारंटर 2), श्री मोहित अरोड़ा (गारंटर 3) तथा दीपम बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिभूति प्रदाता) की तरफ प्रतिभूत क्रेडिटर की 01 मार्च, 2021 तक ऋण सं. 1 के संबंध में बकाया भारतीय रू. 1,95,06,16,897.98 (भारतीय रूपए एक सौ पिच्यानवे करोड़ छह लाख सोलह हजार आठ सौ सत्तानवे तथा पैसे अठ्ठानवे मात्र) तथा ऋण सं. 2 के संबंध में बकाया भारतीय रू. 1,44,32,41,920.30 (भारतीय रूपए एक सौ चवालीस करोड़ बत्तीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ बीस तथा पैसे तीस मात्र), कुल योग भारतीय रू. 3,39,38,58,818.28 (भारतीय रूपए तीन सौ उन्तालीस करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ अठारह तथा पैसे अठ्ठाईस मात्र) की वसूली के लिए दिनांक 25 मार्च, 2021 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

अचल सम्पत्ति हेतु सुरक्षित मूल्य भारतीय रूपए रू. 12,89,90,487.15 (भारतीय रूपए बारह करोड़ नवासी लाख नब्बे हजार चार सौ सतासी तथा पैसे पंद्रह मात्र) होगा। धरोहर राशि जमा भारतीय रूपए रू. 1,28,99,048.71 (भारतीय रूपए एक करोड़ अठ्ठाईस लाख निन्यानवे हजार अड़तालीस तथा पैसे इकहत्तर मात्र) होगी। अचल सम्पत्ति का विवरण इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट का यहां इसमें उपलब्ध कराया गया लिंक देखें नामतः www.pnbhousing.com

अचल सम्पत्ति

सेक्टर–25, जेपी ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी एसडीजेड, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नंबर जीएच–ए9, परिमाप 13,859 वर्ग मीटर (3.42 एकड़)।

नीलामी के नियम और शर्तें पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की वेबसाइट नामतः www.pnbhousing.com पर अपलोड की जा चुकी हैं।

ज्ञात ऋणभार

अधोहस्ताक्षरी बयान करता है कि उसकी जानकारी के अनुसार अचल सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। संभावित खरीदारों/बोलीदाताओं से किसी अन्य ऋणभार के अभिनिश्चयन हेतु और अचल सम्पत्ति की सम्यक् सतर्क जांच स्वयं करने का अनुरोध किया जाता है। यदि कोई अन्य ऋणभार हैं, उनको सफल खरीदार/बोलीदाता द्वारा स्वयं अदा/वहन किया जाएगा। संभावित खरीदारों/बोलीदाताओं से ऐसे ऋणभारों की सच्चाई का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।

स्थान : नोएडा, तिथि : 04–03–2021 **हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

TENDER NOTICE

Appx 'A' to MDC Delhi Cantt.
Letter No.
4253/MS/2021 dt 05 March 2021

REGISTRATION OF VENDORS

1. Interested vendors are invited to register their firms for supply of Dental/Medical item for FY 2021-22 T&C apply.
2. Please collect the vendor registration form from MDC

Delhi Cantt.
Address: MDC Delhi Cantt.
Contact No. 7889670401

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

Ballabgarh Branch, Akash Theatre Complex - 121004

Notice To General Public

That Sh. Mahender Kumar Mangla S/o Sh. Mangat Ram Resident of House No 1216, Sector-19, Faridabad is the owner of property consisting of Land & Building measuring 10 Kanals 06 Marlas,i.e 6231.5 Sq. Yds. Forming part of Khewat/Khasra No 365/429 Rect. No 145, Killa No. 24/2(4-19), 25/1(5-7), situated at Mauza Prithla, Tehsil & District Palwal. In the capacity of borrower has approached and applied for credit facility to the undersigned against his H.No/Plot No. Land & Building measuring 10Kanals 06Marlas,i.e 6231.5 Sq. Yds. Forming part of Khewat /Khasra No 365/429 Rect. No 145, Killa No. 24/2 (4-19), 25/1(5-7), situated at MauzaPrithla, Tehsil & District Palwal.
The Owner has lost his previous title deed bearing No 2507dated 14.07.1997 registered in the office of Sub Registrar Palwal in the name of ShBishan Singh S/o Sh. Roop Chand and Sh. Ranvir Singh S/o ShGovinda and also lodged DDR No 12 dated 15.02.2021 Police Station Ballabgarh regarding loss of said previous sale deed No 2507 dated 14.07.1997.
Now the general public/banks/financial institution through this notice are informed to submit the written objection to the undersigned within 30 days from the date of publication, failing which it will be presumed that there is no objection from anybody and loan can be advanced/sanction to the borrower.

Shashi Bhushan
Chief Manager

जन्म से सुन न पाने वाले शिशुओं का उपचार होगा फ्री

नई दिल्ली (एसएनबी)। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उनकी सरकार जन्म से सुन न पाने वाले बच्चों को अब कॉक्लियर इंप्लांट की सुविधा मुफ्त में मुहैया कराएगी। यह बात उन्होंने बृहस्पतिवार को चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में कॉक्लियर इंप्लांट सुविधा का शुभारंभ करते हुए कही। इस मौके पर गीता कॉलोनी से विधायक एसके बग्गा समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

चाचा नेहरू अस्पताल में कॉक्लियर प्लांट की सुविधा शुरू

दिल्ली सरकार जन्मजात बच्चों में कॉक्लियर इंप्लांट की सुविधा फ्री कराएगी : जैन

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस दिशा में काम करने को लेकर काफी समय प्रयासरत थे। उनका लक्ष्य है कि इस साल अस्तपताल में कम से कम 100 जरूरतमंद बच्चों के यह सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि इसे दिल्ली सरकार की आरोग्य कोष योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक नवजात बच्चे की अस्पताल से छुट्टी होने से पहले उसकी सुनने की क्षमता की जांच होनी चाहिए। 500 नवजात शिशुओं को भी इस योजना की जरूरत पड़ी, तो हम एक भी बच्चे को इस योजना से वंचित नहीं होने देंगे। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पूर्व से निशुल्क मिल रही तमाम स्वास्थ्य सेवाओं की तरह ही दिल्ली आरोग्य कोष के अंतर्गत कॉक्लियर इंप्लांट की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भगवान ने मुनष्य को 5 इंद्रियां दी हैं, जो मानव जीवन को सुचारू ढंग से चलाने में सहायक होती हैं। इन पांचों इंद्रियों में पहला स्थान कान का है, इसके बाद बाकी इंद्रियों का स्थान आता है। सत्येन्द्र जैन ने कहा कि नवजात बच्चों के जन्म के बाद परिवार वालों को जानकारी नहीं होती कि उनके बच्चे के सुनने की क्षमता है या नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि हर नवजात बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले उसके सुनने की क्षमता की जांच हो। उन्होंने कहा कि इस सुविधा पर करीब 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसे अब केजरीवाल सरकार वहन करेगी।

कोविड के 261 नए संक्रमित, एक और मौत

नई दिल्ली (एसएनबी)। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 261 नए मामले सामने आए और एक संक्रमित की मौत हो गई। दिनभर में 66, 432 लोगों की कोरोना की जांच की गई। 43, 460 आरटीपीसीआर और 22, 972 रैपिड एंटीजेन टेस्ट किया है। 143 लोग स्वस्थ भी हुए। दिल्ली में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6, 40, 182 हो चुकी है। इनमें से 6, 27, 566 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना से 10, 915 लोगों की मौत भी हुई है। मृत्युदर का 1.70 फीसद और संक्रमण दर 0.39 फीसद हो चुकी है। कम्युलेटिव पॉजिटिव रेट 5.07 फीसद है। दिल्ली में एक्टिव केस 1701 पाए गए। अब तक कुल 1, 26, 22, 319 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। वर्तमान में निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या 585 है।

टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ : उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने बृहस्पतिवार को सदर बाजार क्षेत्र स्थित धुली चंद बाड़ा हिंदूराव पॉलीक्लीनिक में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी व स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

उन्होंने बताया कि इन पॉलीक्लीनिकों में टीका उपलब्ध होने से नागरिकों को काफी सुविधा होगी। वो अपने घरों के पास टीका लगावा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवा कर यह साबित कर दिया है की टीका भी सुरक्षित है और टीका लगवाना भी सुरक्षित है और देश को एक नई दिशा दी है।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0सडक परिवहन निगम

1-ए, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साईट-4 (निकट पेसिफिक मॉल) कौशाम्बी गाजियाबाद।

पत्रांक:2499 क्षे0प्र0/गा०बाद/सामान्य/ठेका-नीलामी/2021 दिनांक:-04.03.2021

गाजियाबाद क्षेत्र के बस स्टेशनों पर बन्द/रिक्त स्टालों की नीलामी सूचना

''सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 परिवहन निगम गाजियाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत खुर्जा, बुलन्दशहर(नये/पुराने), सिकन्द्राबाद, हापुड, लोनी, गाजियाबाद, कौशाम्बी, साहिबाबाद, मोदीनगर बस स्टेशनों पर खाली/बन्द पड़े स्टालों के लिए टेण्डर जारी किए गये है, जिसमें समस्त निविदाएं दिनांक **22.03.2021** को डाली/खोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था विस्तृत जानकारी परिवहन निगम की वेबसाइट **www.upsrtc.com** एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय कौशाम्बी, गाजियाबाद से भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।''

क्षेत्रीय प्रबंधक, गाजियाबाद।

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालय: नं.2, डेयर हाउस, प्रथम तल, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई–600001.
शाखा कार्यालय: प्लॉट नं.6, द्वितीय तल, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005. संपर्क नंबर: गौरव कुमार दहिया – 9811747507, सुधीर तोमर – 9818460101

नीलामी व बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनेंस कम्पनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा **सिक्योरिटाइज़ेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फ़ायनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002** के तहत कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए, अधिकारियों द्वारा उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति का अधिकार लेने के अनुसरण में अचल संपत्ति खरीदने के लिए मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णित है, **'जैसा है जहां है आधार पर', 'जैसा है जो है आधार पर' और 'जो कुछ भी है आधार पर'** की जाएगी जो प्रतीकात्मक कब्जे में है. जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटीकर्ता	मांग नोटिस दिनांक और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	04.03.2021 को कुल बकाया ऋण
(ऋण खाता संख्या.X0HEEDL00001728906 & X0HEEDL00001411414) **कर्जदार:– 1. पन्ना लाल, 2. नीरू वर्मा, 3. चंदन कुमार पन्ना लाल वर्मा** एच.नं–एफ–11, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, ब्लॉक–एफ, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110016. **इसके अलावा** – 1033/14, गली मीराचंद मालीवाड़ा, चांदनी चौक, नई दिल्ली–110006. **4. पारस वर्मा** एच.नं–एफ–11, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, ब्लॉक–एफ, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110016.	29.04.2019 रु.64,46,541.09 व रु.57,19,903.42 कुल रु.1,21,66,444.51 22.04.2019 को	संपत्ति माप 200 वर्ग गज. संपत्ति संख्या एफ 11 पूरे टेरेस अधिकार के साथ पूरी दूसरी मंजिल (तीसरी मंजिल) के ऊपर ग्रीन पार्क एक्सटेंशन नई दिल्ली में स्थित.	रु. 1,32,00,000/-	रु. 13,20,000/-	रु. 1,27,79,338.19 04.03.2021 को भुगतान की तिथि तक आगे ब्याज, दंड ब्याज, लागत और शुल्क के साथ.

नीलामी प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

1.	नीलामी की तारीख	09.04.2021	3.	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	01.04.2021 से 02.04.2021 (व्यावसायिक समय में)
2.	बोली जमा करने का स्थान और नीलामी का स्थान	प्लॉट नं.6, द्वितीय तल, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110 005.	4.	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	08.04.2021 शाम 5.00 बजे से पहले

*एक बोलीदाता, अपनी पसंद से, नीलामी में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके सुविधा का लाभ उठा सकता है जो नीचे दिए गए पते पर कार्यालय से प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध है. बिक्री इस विज्ञापन और निर्धारित बोली/निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों के अधीन है. इस नोटिस को उपरोक्त सूचनाओं की नीलामी बिक्री के लिए दिए गए नियम 2002 सुरक्षा ब्याज प्रवर्तन के 8 (6) के तहत 30 दिनों के नोटिस के रूप में भी लेना चाहिए.

नीलामी के नियम और शर्तें

1) **'जैसा है जहां है आधार पर' 'जैसा है जो है आधार पर' और 'जो भी है जहां भी है आधार पर'** बेची जाएगी.
2) बोलीदाता सभी मामलों में पूरी तरह कोशिश करने के लिए बाध्य है, जिसमें ऊपर वर्णित निर्धारित तारीख और समय पर संपत्ति के विवरणों का निरीक्षण करना शामिल है.
3) चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड को बोलीदाता द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने का अर्थ ये स्वीकार करना लगाया जाएगा कि (i) उसने सभी मामलों में उचित कोशिश का प्रयोग किया है; (ii) संपत्ति के सभी विवरण/मापन से संतुष्ट है; (iii) नीलामी को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों का पूरा ज्ञान स्वीकार करता है और (iv) भविष्य की किसी भी तारीख में कम्पनी के विरुद्ध किसी भी विपरीत दावे के लिए अपने सभी अधिकार का त्याग करता है.
4) बिक्री अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है यदि कर्जदार/गारंटर बिक्री से पहले पूरी बकाया राशि का भुगतान कर देता है, तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी.
5) बोलीदाता को बयाना जमा राशि (ईएमडी) बैंकर चेक / डीडी द्वारा संबंधित ऋण खाते के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लि. के पक्ष में, बोली फार्म के साथ एक मुहरबंद लिफ़ाफ़े में प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड को 08.04.2021 को या उससे पहले शाम 5.00 बजे तक भेजना होगा. कृपया ध्यान दें कि, सफल बोलीदाता (ओं) के संदर्भ में, ईएमडी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्राप्त होने वाले विक्रय पर विचार के प्रति समायोज्य है, इसके अलावा, असफल बोलीदाता (ओं) की ईएमडी वापसीयोग्य है.
6) सफल बोलीदाता को उसके पक्ष में बिक्री नॉक डाउन होने पर बोली राशि का 25% तत्काल जमा करना होगा उसके पक्ष में बिक्री करने के लिए और शेष 15 दिनों के भीतर संबंधित ऋण खाता नंबर के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में तैयार बैंकर चेक/ डीडी द्वारा जमा करना होगा.
7) यदि सफल बोलीदाता उसके पक्ष में बिक्री नॉक डाउन होने पर राशि का 25% तत्काल जमा करने और/या शेष राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने में असफल रहता है तो बोलीदाता द्वारा जमा बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर लिया जाएगा.
8) संवहन के लिए भुगतान योग्य प्रभार/शुल्क जैसे स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, रखरखाव प्रभार, बिजली शुल्क आदि का वहन सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा. अधिकृत अधिकारी किसी भी शुल्क, धारणाधिकार, संपत्ति कर या सरकारी या स्थानीय निकाय या किसी भी अन्य प्राधिकरण को बिक्री के तहत संपत्ति के संबंध में किसी भी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
9) अधिकृत अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना या कोई भी कारण बताए बिना बोली स्वीकार या रद्द करने या बिक्री टालने / स्थगित करने / रद्द करने / बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने का पूर्ण अधिकार रखता है.
10) बिक्री केवल सफल बोलीदाता के पक्ष में होगी न कि उसके नामांकित व्यक्ति के पक्ष में.
11) यह सूचना विशेष रूप से कर्जदारों (ओं) और सामान्य रूप से जनता के लिए भी है. कर्जदार को बिक्री प्रक्रिया की पुष्टि होने तक संपत्ति की ऋणमुक्ति का पूर्ण अधिकार है।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। संपत्ति की नीलामी 'जैसे है जहां है आधार', 'जैसे है वैसे ही आधार' पर और 'जो भी है वैसे ही आधार' पर नीलाम किया जाएगा.

अधिक विवरण के लिए, उपर्युक्त कार्यालय के पते पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें.

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.03.2021

हस्ताक्षर
अधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फ़ायनांस कम्पनी लिमिटेड